चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक – प०नि०/II/804
दिनांक – 13.05.2024

सेवा में,

समस्त परीक्षा केन्द्र / महाविद्यालय,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं
वर्तमान सम्बद्ध माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर,
मेरठ।

विषय :– विशेष उड़ाका दलों द्वारा विभिन्न स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों / संस्थानों / परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं के दौरान औचक निरीक्षण में पायी गयीं अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

समन्वयक, विशेष उड़ाका दल द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि परीक्षाओं के समय विभिन्न महाविद्यालयों / संस्थानों / परीक्षा केन्द्रों पर औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमिततायें पायीं गयीं हैं यथा– स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों / संस्थानों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य व शिक्षकों का नहीं होना, परीक्षा संचालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय के परीक्षा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन / अनियमिततायें – प्रश्नपत्रों का पैकेट खोलते समय उस पर बाह्य वरिष्ठ केंद्र अधीक्षकों / वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक, अनुमोदित शिक्षकों / कक्ष निरीक्षकों के हस्ताक्षर न होना, प्रश्न पत्र और उत्तर–पुस्तिकाओं को लेने देने वाले व्यक्ति का स्पष्ट नाम अंकित न होना, अनाधिकृत व्यक्तियों का परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में संलिप्त होना आदि, विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों / संस्थानों हेतु नामित बाह्य वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षकों द्वारा कार्यमुक्त न हो पाने आदि समस्याओं के कारण संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर कार्य भार ग्रहण नहीं करना, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों / संस्थानों में बाह्य वरिष्ठ अधीक्षकों / वरिष्ठ केंद्र अधीक्षकों आदि का परीक्षा केंद्रों पर अनुपस्थित पाया जाना तथा उनके अवकाश प्रार्थना पत्र का नहीं होना, कुछ परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय परीक्षा मानकों के अनुसार परीक्षार्थियों के मध्य निर्धारित दूरी व परीक्षार्थियों के सापेक्ष कक्ष निरीक्षकों का नहीं होना, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों / संस्थानों में परीक्षा के दौरान शौचालय में गाइड बुक, हैंड बुक के पृष्ठों, हस्तलिखित पर्चियों आदि का बिखरा हुआ मिलना, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों / संस्थानों के परीक्षा कक्षों में पूर्व दिवस की परीक्षा संबंधी नकल सामग्री का मिलना, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं होना, परीक्षा केन्द्रों पर औचक निरीक्षण हेतु पहुँचने पर परीक्षा के दौरान प्रवेश द्वार बंद मिलना तथा गेट कीपर द्वारा फलाइंग टीम को गेट पर विलम्ब करना, औचक निरीक्षण के दौरान स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा फलाइंग टीम को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों के अनुमोदन पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना, स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों / संस्थानों में एक ही विषय तथा पेपर कोड के परीक्षार्थियों का अत्यंत ही निकट लगभग बराबर में बैठकर परीक्षा देना इत्यादि।

उक्त के सम्बन्ध में मा० कुलपति महोदया द्वारा गहन नाराजगी व्यक्त की गयी है तथा समस्त परीक्षा केन्द्रों को तत्काल ही उपरोक्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु निदेश प्रदान किये गये हैं तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर महाविद्यालयों / संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही करने पर भी सहमति प्रदान की गयी है।

अतः आप समस्त प्राचार्यों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर नियमानुसार परीक्षाओं को निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने का कष्ट करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

13.05.2024
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. सचिव कुलपति, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, निदेशक(अकादमिक) को निदेशक(अकादमिक) के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
5. उप–कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)।
6. समन्वयक, उडाका दल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय,मेरठ।
7. प्रभारी–विश्वविद्यालय वेबसाईट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक